महत्वपूर्ण

संख्या-27/2025/944242/60-1099/124/2020

प्रेषक,

लीना जौहरी,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1- समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।

2- समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

महिला कल्याण अनुभाग-1 **लखनऊ::दिनांक:: 25 अप्रैल, 2025**

विषय-: पति की मृत्यु उपरान्त निराश्रित महिला पेंशन योजनान्तर्गत लाभार्थियों का सघन सत्यापन कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि पति की मृत्यु उपरान्त निराश्रित महिला पेंशन योजनान्तर्गत लाभार्थियों का सघन सत्यापन का कार्य वित्तीय वर्ष 2025-26 में कराया जाना है। इसका उद्देश्य योजनान्तर्गत लाभान्वित किये गये पेंशनरों के पात्रता की जाँच कर यह सुनिश्चित करना है कि वास्तव में लाभान्वित किए गये पेंशनरों के सापेक्ष कितने पेंशनर्स मृतक/अपात्र हैं। उपरोक्त के संबंध में निदेशालय, महिला कल्याण के पत्र संख्या-सी-1833/निदे०म०क०/निरा०म०पे०(दिशा-निर्देश)/2024-25, दिनांक 29.03.2025 एवं पत्र संख्या-सी-10/निदे०म०क०/निरा०म०पे०(दिशा-निर्देश)/2025-26, दिनांक 11.04.2025 द्वारा दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं।

2- पति की मृत्यु उपरान्त निराश्रित महिला पेंशन योजनान्तर्गत लाभार्थियों का सघन सत्यापन कराकर मृतक एवं अपात्र लाभार्थियों की पेंशन बन्द करते हुए पात्र लाभार्थियों को समय-समय पर भुगतान की जाने वाली धनराशि के संबंध में एस०एम०एस० से सूचित किये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु लाभार्थियों के सत्यापन का कार्य दिनांक 25 मई 2025 तक प्रत्येक दशा में पूर्ण कर लिया जाय। उक्त कार्य हेतु निम्नवत् प्रक्रिया निर्धारित की जाती है:-

- पति की मृत्यु उपरान्त निराश्रित महिला पेंशन योजनान्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र में लाभान्वित लाभार्थियों का डाटा जनपदवार/विकास खण्डवार/ग्राम पंचायतवार तथा शहरी क्षेत्र के लिए जनपदवार/नगर पंचायतवार/वार्डवार जिला प्रोबेशन अधिकारी के लॉगिन पर उपलब्ध है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

- जिला प्रोबेशन अधिकारी द्वारा विकास खण्डवार/ग्राम पंचायतवार/शहर निकाय के वार्डवार लाभार्थियों का विवरण एक्सेल फार्मेट में डाउनलोड कर उसका प्रिन्टआउट लेकर ग्रामीण क्षेत्र के लाभार्थियों हेतु समस्त खण्ड विकास अधिकारियों तथा शहरी क्षेत्र के लाभार्थियों के सत्यापन हेतु जिलाधिकारी द्वारा नामित उप जिलाधिकारियों या अधिशासी अधिकारी नगर परिषद/नगर पंचायत को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
- उक्त के साथ-साथ जीरो पावर्टी अभियान के तहत 13.06 लाख निर्धनतम् परिवारों का चिन्हीकरण किया गया है इन परिवारों में प्रदेश में लगभग 4,039 महिलायें महिला कल्याण विभाग के अन्तर्गत पति की मृत्यु उपरान्त निराश्रित महिला पेंशन योजनान्तर्गत पेंशन हेतु सम्भावित पात्र हो सकती हैं, जिनको विषयांकित योजना से यथासम्भव आच्छादित कराया जाना है। अतः जीरो पावर्टी अभियान में चिन्हित निर्धनतम् परिवारों की पात्र महिलाओं के ऑनलाइन आवेदन, सत्यापन एवं स्वीकृति विषयक कार्यवाही भी साथ में ही पूर्ण कर ली जाय।

<u>समय सारिणी</u>

(क)	खण्ड विकास अधिकारी/उप जिलाधिकारी या अधिशासी अधिकारी नगर परिषद/नगर पंचायत द्वारा क्षेत्रीय कर्मचारियों के माध्यम से सत्यापन कार्य पूर्ण कराना।	10 मई 2025
(ख)	खण्ड विकास अधिकारी/उप जिलाधिकारी या अधिशासी अधिकारी नगर परिषद/नगर पंचायत द्वारा हस्ताक्षरित सूची सहित सत्यापन रिपोर्ट जिला प्रोबेशन अधिकारी को उपलब्ध कराना।	15 मई 2025
(ग)	जिला प्रोबेशन अधिकारी द्वारा सत्यापन में मृतक/अपात्र पाये गये पेंशनरों की पेंशन रोके जाने की कार्यवाही करना।	25 मई 2025

- योजनान्तर्गत जाँच में कतिपय अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा सत्यापन का कार्य गहनता से न करते हुए पात्र एवं जीवित लाभार्थियों के नाम के सम्मुख मृतक/अपात्र अंकित कर दिया जाता है, जिससे जनमानस में विभाग की छवि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। उक्त के संबंध में जिलाधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि पात्र एवं जीवित लाभार्थियों के सत्यापन का कार्य गहनतापूर्वक किया जाय, जीवित पेंशनर्स को मृतक/अपात्र दर्शाये जाने वाले सत्यापनकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

- उपरोक्त कार्यवाही जनपद स्तर पर समय से सम्पन्न कराने हेतु मुख्य विकास अधिकारी उक्त कार्यक्रम के नोडल अधिकारी होंगे तथा सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी एवं मण्डल के मण्डलायुक्त समय-समय पर उक्त कार्य की प्रगति का सम्यक् अनुश्रवण करते हुए समस्त कार्यवाही समय से पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे।

3- पति की मृत्यु उपरान्त निराश्रित महिला पेंशन योजनान्तर्गत महिलाओं को उपलब्ध करायी जाने वाली पेंशन का सही एवं समय से वितरण सुनिश्चित कराना प्रदेश सरकार की प्राथमिकता के कार्यक्रमों में सम्मिलित है। अतः आपसे अपेक्षा है कि उपरोक्त निर्देशानुसार समस्त कार्यवाही निर्धारित समयान्तर्गत पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

भवदीया

(लीना जौहारी)
प्रमुख सचिव

<u>संख्या एवं दिनांक यथोक्त।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- आयुक्त, समाज कल्याण विभाग, उ०प्र० शासन।
2- निदेशक समाज कल्याण उ०प्र०, लखनऊ।
3- निदेशक महिला कल्याण उ०प्र०, लखनऊ।
4- निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ०प्र०।
5- राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, राज्य सूचना विज्ञान इकाई, उ०प्र०।
6- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ०प्र० को उक्त के क्रम में समयबद्ध कार्यवाही सुनिश्चित कराने हेतु।
7- समस्त मण्डलीय उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारी/उप निदेशक, उ०प्र० को अपने मण्डल के अधीन जनपदों के उक्त कार्य की सघन समीक्षा करते हुए समयबद्ध कार्यवाही पूर्ण कराने हेतु।
8- समस्त जिला प्रोबेशन अधिकारी, उ०प्र० को समयबद्ध कार्य पूर्ण कराने हेतु।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुधा वर्मा)
विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in